7

को पेश हो।

गौड़

31-7-23 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप.। दोनों अधिवक्ताओं की सहमति से इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन दिनांक 16/9/22 अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। तथा उभय पक्ष कायम को पाबन्द किया जाता है कि एक दूसरे के हिस्से पर किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप/दखलन्दाजी नये निर्माण कब्जा करने से प्रतिबंधित रहे। राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिये तथा फैसला वाद प्रतिबन्धित निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा० मिसल किया गया बाद फैसला होकर दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :—80/2022
रज्जू दिनांक 16—09—2022

पीठासीन अधिकारी
श्री बृजेन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1. रमेश
2. गोविन्द } पि0 हरिशंकर जाति माली निवासी वार्ड नं0 18 कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
3. गोरव
4. सोरव } पि0 स्व. मुकेश नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सुमन पत्नी मुकेश जाति माली निवासी वार्ड नं0 18 कस्बा लालसोट जिला दौसा राज0
5. सुमन बेवा मुकेश जाति माली निवासी वार्ड नं0 18 कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
6. शान्ति देवी बेवा हरिशंकर
7. पदमा पुत्री हरिंशंकर } जाति माली निवासी वार्ड नं0 18 कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रार्थीगण)

बनाम्

1. घनश्याम पुत्र मूलचन्द जाति माली निवासी वार्ड नं0 18 कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—
1. श्री रमेश चन्द सैनी एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री हरिनारायण माठा एडवोकेट

निर्णय

दिनांक 31-7-23

संक्षिप्त मे वृतान्त इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं. 2704 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं0 2707 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नं0 2709 रकबा 02 बीघा, खसरा नं0 4541/2703 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा भूमि वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। जो पक्षकारान की

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

संयुक्त खातेदारी की भूमि है। खातेदार हरिशंकर का देहान्त दिनांक 25—08—2022 को हो गया है। जो उक्त भूमि के हिस्सा 1/2 का खातेदार दर्ज रिकार्ड था तथा शेष हिस्सा 1/2 का खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 है। प्रार्थीगण मृतक हरिशंकर के कानूनी उत्तराधिकारी होने से उनका वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है एवं लगान सरकारी अदा करते आ रहे है। जमाबंदी की नकल सम्वत 2072—2075 संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त भूमि को आगे प्रार्थना पत्र में आराजी वादग्रस्त से सम्बोधित किया जा रहा है। उक्त आराजी वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में अविभाजित कृषि भूमि है जिसका विधिवत प्रकार से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन नही हुआ है। आराजी वादग्रस्त कानूनन अविभाजित है। परन्तु पक्षकारान ने मनबट से आराजी वादग्रस्त का मौके पर विभाजन कर रखा है तदानुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज है तथा तदानुसार लगान सरकारी अदा कर रहे है। पूर्व में आराजी वादग्रस्त के बाबत् कोई विवाद नही था परन्तु अब अप्रार्थी संख्या 1 अपने हिस्से की भूमि आराजी वादग्रस्त को बिना कानूनी विभाजन करवाऐ विक्रय करने पर आमादा है। जिसका उन्हे किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थीगण के पूर्वज हरिशंकर द्वारा मनबट हुए विभाजन के आधार पर अपने हिस्से मे आई भूमि में लाखो रूपय की लागत लगाकर उक्त भूमि को समतल व उपजाउ भी बनाया है। अप्रार्थी संख्या 1 की नियत मे खोट आ जाने के कारण वह आराजीयात का पुनः विभाजन कर प्रार्थीगण की भूमि को हडप कर अन्य दीगर व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा है जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार हांसिल नही है। दिनांक 05—09—2022 को अप्रार्थी संख्या 1 अपने साथ 5—7 दीगर व्यक्तियो को लेकर आराजी वादग्रस्त पर आ गये इस पर वादीगण ने प्रतिरोध करने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि हम इस जमीन को दीगर लठैत किस्म के अजनबी लोगो को बेचान करके रहेगे तथा तुम्हे तुम्हारे हिस्से की भूमि मे काश्त नही करने देगे। अप्रार्थी संख्या 1 की इस ही बेजा धमकी से विनाय दावा विनाय मुखास्मत पैदा

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

होरक प्रार्थीगण को अपने हकूक की रक्षार्थ यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना लाजिमी आया। प्रार्थीगण कानूनन मुश्तहक है कि वह आराजी वादग्रस्त का कानूनी विभाजन जो कि पक्षकारान ने मौके पर कर रखा है के अनुसार करवाये तथा माल नक्शा ट्रेस में इन्द्राजात करवाये। प्रार्थीगण कानूनन मुश्तहक है कि वह इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थी संख्या 1 को पांबद करवाये कि वे आराजी वादग्रस्त का बिना कानूनी विभाजन हुए विकय, रहन, हस्तान्तरण नही करे तथा आराजी वादग्रस्त पर प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी पैदा करने से स्वयं व अपने परिवारजन सहित प्रतिबंधित रहे तथा अप्रार्थी संख्या 2 राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री हरिनारायण माठा एडवोकेट ने इबालिया जवाब पेश कथन किया कि मौके व रिकार्ड की यथास्थिति हेतू उपभय पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की सहमती दी है।

हमने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता सुनी गई पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मनन किया जिससे प्रतीत होता है कि आराजी खसरा नं0 2704 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं0 2707 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नं0 2709 रकबा 02 बीघा, खसरा नं0 4541/2703 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा भूमि वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा का प्रार्थीगण रिकार्डेड मुताबिक जमाबन्दी काबिज खातेदार काश्तकार है इसलिए प्रावधानानुसार अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे तथा आराजी वादग्रस्त का रहन बय हस्तानान्तरण न करे न करावे तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबंधित किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतएव मेरी राय मे अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत आराजी खसरा नं. 2704 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा खसरा नं0 2707 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नं0 2709 रकबा 02 बीघा, खसरा नं0 4541/2703 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा भूमि वाकै कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा बाबत् प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि एक दुसरे के हिस्से पर किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी करने, जबरन कब्जा करने से प्रतिबंधित रहे तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए ताफैसला वाद प्रतिबंधित रहे।

निर्णय आज दिनांक 31/7/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)
उपखण्ड अधिकारी, लालसोट